33
36

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग. 3767-पी/2015 / 2015 पुनरीक्षण

बुद्विमान पिता ललुआ चर्मकार

निवासी ग्राम नौढिया तहसील–गोपदबनास

जिला–सीधी म.प्र.

विरूद्व

समइया पुत्र सम्पति कुम्हार

निवासी ग्राम नौढिया तहसील–गोपदबनास

जिला–सीधी म.प्र.

श्री ... द्वारा आज दि. 19-11-2015 को प्रस्तुत

19/11/15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपर कलेक्टर जिला–सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/निगरानी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 26–10–2015 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अपर कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध एवं विचाराधिकार शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, आवेदक के हित में दिनांक 31–12–1985 को तहसीलदार गोपदबनास द्वारा भूमि व्यवस्थापन का आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्व अनावेदक ने वर्ष–2008 में अर्थात 23 वर्ष पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया था ऐसे नितान्त समयवाधित पुनरीक्षण आवेदन को समयावधि के बिन्दू पर कोई निर्णय दिये बिना स्वीकार करने में अपर कलेक्टर ने गम्भीर भूल की है.

3. यह कि, ग्राम नौढिया के भूमि सर्वे क्रमांक 58 के एक अंश पर आवेदक का लगभग 60 वर्ष पुराना कच्चा मकान बना हुआ था आवेदक ने भूमि के व्यवस्थापन हेतु आवेदन दिया जिसे दिनांक 06–11–1982 को स्वीकार किया गया परंतु अनावेदक एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थापन आदेश के विरूद्व कलेक्टर (अपील समिति) के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे इस आधार पर स्वीकार किया गया था कि ग्राम नौढिया सीधी नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के आठ किलो मीटर की परिधी में आता है अतः व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता था.

4. यह कि, वर्ष 1984 में आवेदक ने नये प्रावधानों के अंतर्गत अपने आवास की भूमि के व्यवस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे नियमानुसार जांच करने के पश्चात स्वीकार किया गया ऐसे आदेश को असंबंधित आधारों पर निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है.

Belapurkar 19.11.2015

(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3767-II/15 जिला - सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
6/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 7/9/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 13/निग/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 26/10/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/04/19 को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । आदेश सदस्य 6/2/19.	